अपील सूचना अधिकार संख्या 74/2022 (GCMS 2022/255)(आईटीआई पोर्टल नं. **212319296720503) मोती चौधरी मार्फत कमलेश रानी पुत्री** श्री राम[illegible] पूनिया, **निवासी 17 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल** नं. 63[illegible]–16754)
<u>बनाम</u> उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>14.06.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलाथी मोती चौधरी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मोती चौधरी ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.09.2022 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मोती चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से निम्न सूचना चाही थी:

> मैनें पंजीकृत डाक से एक जन अभाव अभियोग 17 बीबी में घर–घर जल योजना मरे प्लॉट नं. 26, 27 से पाईप लाईन नहीं डाली गई बाबत, अप्रार्थी एईएन, पीएचईडी खण्ड पदमपुर के बाबत कार्यवाही करने के लिए पंजीकृत डाक नं. आरआर 13869323IN आज दिनांक तक कार्यवाही की सूचना देवें।

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने पत्रांक सू.अ./2022/1948 दिनांक 30.11.2022 अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री मोती [illegible] पुत्र [illegible] सी/ओ कमलेश रानी पुत्री रामकुमार पूनीयां [illegible] द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम [illegible] पत्र व आवेदन [illegible] सूचना चाही गई थी। उक्त सूचना इ[illegible] कार्यालय से सम्बन्धि[illegible] होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

—2— अपील सूचना अधिकार संख्या 74/2022

उक्त आवेदन पत्र जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पदमपुर को मूल ही आवेदन पत्र कार्यालय के पत्रांक सूचना का अधिकार/2022/1381 दिनांक 27.09.2022 के हस्तान्तरित (Transfer) किया गया। सूचना की छाया प्रति के पत्र संलग्न अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचना सादर प्रेषित है।

-sd-
(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

उपखण्ड अधिकारी, पमदपुर ने अपील का जवाब उक्तानुसार प्रेषित किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी का मूल पत्र उनके द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पदमपुर को हस्तान्तरित किया गया है तथा अपने पत्रांक सूचना का अधिकार/2022/1382 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को भी सूचित किया गया **है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पदमपुर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है।** इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पदमपुर के जवाब से असंतुष्ट हो तो, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पदमपुर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर एवं जन** स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पदमपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:34 IST
Reason: SelfAttested